निवेदन किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया
बाद अवलोकन पाया गया कि न्यायहित में प्रार्थी
वकील का उक्त प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित
है। अतः प्रार्थी वकील का प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश
9 C.P.C का स्वीकार कर मूल प्रा० पत्र सं. 27/2018
पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।
मिसल फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ
नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

Scanned by CamScanner